सुरक्षित प्रसव के लिए मिलेंगे 4 हजार रुपये

पटना (एसएनबी)। प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक भोजन गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ शिशु के लिए जरूरी है। अब सुदूर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी स्वस्थ शिशु को जन्म देने के साथ स्वयं के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी पाने की हकदार होंगी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को भी मिलेगा। इसके तहत गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को चार हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रोत्साहन

राशि का वहन शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार करेगी। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना का कार्यान्वयन आईसीडीएस (समेकित बाल विकास योजना निदेशालय) के माध्यम से किया जाएगा। बजट स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष भेजा गया है। उसके बाद योजना लागू हो जाएगी। आईसीडीएस से मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों को योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विशेष तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

योजना की मॉनिटरिंग के लिए राज्य, जिला, प्रोजेक्ट और गांव स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू करने के लिए राज्य के दो जिलों वैशाली एवं सहरसा का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को बच्चे के प्रथम छह माह की उम्र होने तक चार हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। प्रथम किश्त गर्भाधान के चार महीने के अंदर डेढ़ हजार रुपये, द्वितीय किश्त प्रसव के तीन महीने के बाद डेढ़ हजार रुपये एवं तीसरी किश्त प्रसव के छह महीने बाद एक हजार रुपये प्रदान की जायेगी। योजना का संचालन आंगनबाड़ी केन्द्रों के सहयोग से किया जाएगा।